12

''आदेश''

श्री रामनरेश पाल पुत्र श्री राजपाल निवासी 285 सरवट मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना पर आपत्ति की गयी है कि परिसीमन के दौरान बने कक्ष संख्या-05 सरवट आ0 व कक्ष संख्या-08 सरवट जो पूर्व में परिसीमन के दौरान सरवट प्रथम व द्वितीय थे उनको पूर्व की भाँति रखा जाये।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 29.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि आपत्तिकर्ता का अनुरोध सही पाया गया। पूर्व परिसीमन में कक्ष संख्या-05 सरवट द्वितीय व कक्ष सं0-08 सरवट प्रथम थे, जिन्हें पूर्व की भाँति किया जाना औचित्यपूर्ण है, संस्तुति की जाती है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड संख्या-05 सरवट द्वितीय व वार्ड संख्या-08 सरवट प्रथम तद्नुसार संशोधित किया जाता है।

1/5

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर